



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072023-247727
CG-DL-E-31072023-247727

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3268]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 2023/श्रावण 9, 1945

No. 3268]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 2023/SHRAVANA 9, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2023

सं. 22/2023

विषय: वनस्पति पदार्थों से युक्त फूड सप्लीमेंट की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 3415(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (वर्ष 1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची-2 को निम्नानुसार संशोधित करती है:

क्र.सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	मौजूदा नीति	नीतिगत शर्तें
89क	1302	वनस्पति सेप्स और एक्स्ट्रेक्ट्स, पेक्टिक पदार्थ, पेक्टिनेट्स और पेक्टेट्स, अगर-अगर और अन्य म्यूसिलेजेस और थिकनर्स चाहे वनस्पति उत्पादों से आशोधित, उद्भूत हो या नहीं।	मुक्त	यूरोपीय संघ (ईयू) और यूनाइटेड किंगडम (यूके) को भारत में उद्गमित अथवा वहां से भेजे जाने वाले वनस्पति पदार्थ युक्त फूड सप्लीमेंट जो मानव अथवा पशु उपभोग के लिए हो, का निर्यात आधिकारिक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए नामित सक्षम प्राधिकारी निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)/निर्यात निरीक्षण अभिकरण (ईआईए), द्वारा आधिकारिक प्रमाण-पत्र जारी करने के अधीन अनुमत है। आधिकारिक प्रमाण-पत्र यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार इस प्रयोजनार्थ ईआईसी/ईआईसी अनुमोदित
93क(1)	2106	खाद्य निर्मितियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट अथवा शामिल न हों	मुक्त	

				प्रयोगशालाओं से संतोषजनक विश्लेषणात्मक परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाएगा।
--	--	--	--	--

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम को मानव अथवा पशु उपभोग हेतु अभिप्रेत आईटीसी एचएस कोड 1302 और 2106 के तहत वनस्पति पदार्थों से युक्त फूड सप्लीमेंट के निर्यात के लिए नीतिगत शर्त को अधिसूचित किया गया है।

[फा. सं. 01/91/180/027/एम22/ईसी/30745]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department Of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st July, 2023

No. 22/2023

Subject: Amendment in Export Policy of Food Supplements containing botanicals.

S.O. 3415(E).—The Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023 hereby amends the schedule -2 of ITC (HS) Export Policy, 2018, as under :-

Sl. No.	ITC HS codes	Description	Present Policy	Policy conditions
89A	1302	Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products.	Free	The export of Food Supplements containing botanicals to European Union (EU) and United Kingdom (UK) originating in or consigned from India and intended for human or animal consumption, allowed subject to issuance of the official certificate issued by Export Inspection Council (EIC)/ Export Inspection Agencies (EIAs), the designated Competent Authority for issuance of official certificate. The official certificate will be issued based on the satisfactory analytical test report from EIC/EIC approved laboratories for the purpose as per the requirement laid down by EU.
93A (1)	2106	Food preparations not elsewhere specified or included.	Free	

2. Effect of This Notification:

Policy conditions for Export of Food Supplements containing botanicals under ITC HS code 1302 and 2106 intended for human or animal consumption to European Union and United Kingdom is notified.

[F. No. 01/91/180/027/AM22/EC/30745]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.